

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• देशबन्धु पुत्र जयप्रकाश जाति यादव निवासी शाहपुरा अब्बल तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा व अन्य - प्रार्थी

बनाम

• नन्दू पत्नि भोलू जाति जाट निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राज0 व अन्य। -प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 13 / 2026

ऑनलाइन नंबर 2026 /

वकील वादी:- योगेश शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
9/2/26	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन/रजि. डाक की जाकर पत्रावली दिनांक 11/3/26..... को पेश हो। UP उपखण्ड अधिकारी अंराई	30/11/26
11/3/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी/अप्रार्थी के तामील सम्मन तामील शुद्ध प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली दिखा गयी। अप्रार्थी संख्या 8 उपस्थित/शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा किली प्रकार की आपत्ति नहीं की गयी। रकम-रकमुर शाम 6 बजे तक आपत्ति लगाई गयी। कोई उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कमल मैलासी जाकर पृथक से एकपक्षीय आदेश लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली दिखा गयी। पत्रावली के तलबी शुमार होकर दर्ज नम्बर के कम ही। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	(उपस्थित नम्बर 8 अप्रार्थीगण) राजस्व नम्बर अनुसार सीमांतान। पत्रावली के तलबी जति में कोई आपत्ति नहीं है। 11-3-26 पेश।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 13/2026

1. दीनबन्धु पुत्र जयप्रकाश, जाति अहीर (यादव), उम्र बालिग वर्ग, निवासी शाहपुरा अब्बल, तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

2. ब्रह्मसिंह यादव पुत्र इन्द्रराजसिंह जाति अहीर (यादव) शकूपुर गांव सरस्वती विहार नोर्थ वेस्ट दिल्ली

—प्रार्थीगण

बनाना

1. नन्दू पत्नि भोलू जाति जाट निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान

2. रंगलाल पुत्र भोलू जाति जाट निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान

3. विश्राम पुत्र भोलू जाति जाट निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान

4. हँसराज पुत्र भोलू जाति जाट निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान

5. अशोक कुमार धोबी पुत्र बाबूलाल धोबी जाति धोबी निवासी साकिन प्लॉट नम्बर 30 श्री राधे गोविन्द रेजिडेन्सी जयसिंहपुरवास भोंकरोटा जयपुर

6. विक्रमसिंह पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर (यादव) शाहपुर अब्बल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा

7. रामदेव तंवर पुत्र रूपनारायण जाति खटीक निवासी मण्डी खटीकान चार दरवाजा बाहर जयपुर

8. अशोक पुत्र बैरूलाल जाति बलाई निवासी हरमाछा तहसील ओमेर जिला जयपुर राजस्थान

9. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

वकील वादी योगेश शर्मा एडवोकेट

दिनांक

प्रार्थीगण की ओर एक प्रार्थना पत्र वकील योगेश शर्मा द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राजका0अधि01956 के तहत पेश किया। वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके ग्राम पाण्डरवाड़ा पटवार हल्का पाण्डरवाड़ा भूअ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान में निम्न विवरण की स्थिति है -

खाता संख्या नया/पुराना	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर	किसम
147/127	696/525	1.7798	बंजर 2
कुल खसरा	01	1.7798 हैक्टेयर	

उपरोक्त कृषि आराजी में प्रार्थी सम्पूर्ण हिस्सा उक्त कृषि भूमि में राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा निहित होकर सह खातेदार, काविज, काररकार है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर बदस्तूर सहखातेदार काररकार काविज चले आ रहे है, तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नकशा ट्रेस में भी प्रार्थी की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि जो निम्नानुसार स्थित है -

(अ) कृषि भूमि खसरा संख्या 696/525 क्षेत्रफल 1.7798 हैक्टेयर -

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ग्राम पाण्डरवाड़ा स्थित खसरा संख्या 695/525 क्षेत्रफल 1.6180 हैक्टेयर भूमि के रिकार्ड खातेदार, है, उक्त भूमि खसरा संख्या 695/525 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 696/525 के उत्तर दिशा में स्थित है। तथा अप्रार्थी संख्या 5 ग्राम पाण्डरवाड़ा स्थित खसरा संख्या 716/526 क्षेत्रफल 1.7798 हैक्टेयर भूमि के रिकार्ड खातेदार, है, उक्त भूमि खसरा संख्या 716/526 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 696/525 के उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित है। तथा अप्रार्थी संख्या 5 ग्राम पाण्डरवाड़ा स्थित खसरा संख्या 717/526 क्षेत्रफल 1.7798 हैक्टेयर भूमि के रिकार्ड खातेदार, है, उक्त भूमि खसरा संख्या 717/526 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 696/525 के पूर्व-दक्षिण दिशा में स्थित है। तथा प्रार्थी स्वयं व अप्रार्थी संख्या 6 ग्राम पाण्डरवाड़ा स्थित खसरा संख्या 697/525 क्षेत्रफल 1.7798 हैक्टेयर भूमि के रिकार्ड खातेदार, है, उक्त भूमि खसरा संख्या 697/525 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 696/525 के दक्षिण दिशा में स्थित है।

अम-मीना
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

प्राथी स्वयं की ग्राम पाण्डरवाडा स्थित खसरा संख्या 705/525 क्षेत्रफल 1.6180 हैक्टेयर भूमि के रिकॉर्ड खातेदार, हे, उक्त भूमि खसरा संख्या 705/525 प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 696/525 के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है। तथा अप्राथी संख्या 7 लगायत 8 ग्राम पाण्डरवाडा स्थित खसरा संख्या 706/525 क्षेत्रफल 1.6180 हैक्टेयर भूमि के रिकॉर्ड खातेदार हे, उक्त भूमि खसरा संख्या 706/525 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 696/525 के पश्चिम उत्तर दिशा में स्थित है। प्रार्थी एवं अप्राथी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य उपरोक्त भूमियों का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्राथी संख्या 1 लगायत 9 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करते रहते हैं, जिससे प्रार्थी एवं अप्राथी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य लड़ाई-झगडा होता रहता है। अप्राथी संख्या 1 लगायत 9 आये दिन प्रार्थी की भूमि को छेड़छाड़ करते रहते हैं तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते हैं। उपरोक्त खसरान् के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्राथी संख्या 1 लगायत 9 द्वारा आये दिन प्रार्थी के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थीगण ने अप्राथी संख्या 10 के कार्यालय में सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी महोदय, कालानाडा द्वारा दिनांक 20.06.2025 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा बनाया गया। जिसके पश्चात् भी उक्त अप्राथीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि की सीमाओं को लेकर दिनांक 31.01.2026 को विवाद किया गया। वाद कारण दिनांक 31.01.2026 को अप्राथीगण द्वारा सीमाओं के विवाद को लेकर प्रार्थी के साथ गाली-गलौच करने से उत्पन्न हुआ है तथा प्रार्थी के कृषि कार्य में अप्राथीगण द्वारा बाधा कारित करने तथा प्रार्थी के साथ सीमाओं को लेकर वाद विवाद करते रहने से वाद कारण सतत जारी है। प्रार्थी एवं अप्राथी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य स्पष्ट रेवेन्यू नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिये प्रार्थी को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी एवं अप्राथी संख्या 1 लगायत 9 की खातेदारी भूमियों के राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं का भौतिक सत्यापन कराकर पत्थरगढी करवायी जानी न्यायहित में आवश्यक है ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके। अप्राथी संख्या 10 राजस्व रिकार्ड संघारक है तथा राज्य सरकार का भू-अभिलेख प्रतिनिधि है इसलिये उपरोक्त सीमा विवाद एवं पत्थरगढी हेतु उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थी की वाके ग्राम पाण्डरवाडा पटवार हल्का पाण्डरवाडा, भू.अ.नि.क्षेत्र डसूक तहसील अराई, जिला अजमेर स्थित कृषि खसरा संख्या 696/525 क्षेत्रफल 1.7798 हैक्टेयर की सीमाओं का भौतिक सत्यापन कराकर, पत्थरगढी करवाकर प्रार्थी को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दिनांक 09.02.2026 को दर्ज किया गया तथा नोटिस तामिनी हेतु भिजवाये गये। तामिनी रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्राथीगण की ओर से अप्राथी संख्या 5 अशोक कुमार धोबी पुत्र बाबूलाल उपस्थित हुआ तथा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी। शेष अप्राथीगण अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकषक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.का.अधि. स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पाण्डरवाडा पटवार, हल्का पाण्डरवाडा, भू.अ.नि.क्षेत्र डसूक तहसील अराई, जिला अजमेर स्थित कृषि खसरा संख्या 696/525 क्षेत्रफल 1.7798 हैक्टेयर का राज0 रिकार्ड के अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/- रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/- रु जमा करवाने पर व मौके पर उपस्थित होकर प्रार्थी के कब्जेनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में अवास्थिधीन स्थिति को देखते हुए (एन एच में अवास्थिधीन न हो) उक्त वाद का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

अ. अ. अ.

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)